संख्या-36/2021/3966/96-आयुष-1-2021-214/2018टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 18 अक्टूबर, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-83/347/योजना/2021-22; दिनांक 12.10.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-34/2021/3125/96-आयुष-1-2021-214/2018टी0सी0, दिनांक 24.08.2021 द्वारा महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0-26750.56 लाख (रूपये दो अरब सडसठ करोड पचास लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0-600.11 लाख (रूपये छः करोड ग्यारह हजार मात्र) अवमुक्त की गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0-26750.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-9271.91 लाख (रूपये बानबे करोड इकहत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019-बी-2-615/दस-2019 दिनांक 13.12.2019 द्वारा रू0-50.00 करोड से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में ई0पी0सी0 मोड/बिडिंग की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रायोजना मे प्रस्तावित सी0सी0टी0वी0, एसेस कन्ट्रोल सिस्टम, वाइ-फाई, इ0पी0एफ0बी0एक्स सिस्टम, हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम, नर्स कालिंग सिस्टम, आडियो वीडियो सिस्टम, स्टेज लाइटिंग सिस्टम हेतु प्रस्तावित धनराशि बिडिंग की लागत में सम्मिलित नहीं होगी। अतः उक्त केा प्रायोजना की लागत में सम्मिलित नहीं किया जाय।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार लोक निर्माण/आयुर्वेद विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत किया जाय।

(6) महायोगी गुरू गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर गठित सी0सी0आई0एम0 मानकों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें माडुलर ओ0टी0 एवं मेडिकल गैस पाइप लाइन के संबंध में स्वयं पुष्टि कर लेंगे कि उक्त कार्यमदों का प्राविधान सी0सी0आई0एम0 मानक के अनुसार किया गया है।

(8) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, आयुर्वेद का होगा।

(10) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उदेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(11) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक आयुर्वेद सेवायें द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) द्वितीय किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आई0आई0टी0 की गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक आयुर्वेद सेवायें द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(14) निदेशक आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय वित्त समिति के निर्देशों/शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(15) निदेशक आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(16) निदेशक आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(17) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(18) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज दिया जायेगा।

(19) निदेशक आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित हो लेंगे कि मौके पर भूमि अथवा निर्माण कार्य की प्रकृति में परिवर्तन होने की स्थिति में आगणन मूल/लागत में वृद्धि नहीं की जाएगी।

(20) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(21) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(22) परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर, कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, आयुर्वेद सेवायें का होगा।

(23) इस संबंध में शासन के पत्र संख्या-34/2021/3125/96-आयुष-1- 2021-214/2018टी0सी0, दिनांक 24.08.2021 द्वारा निर्धारित शर्तों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-08-आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-36/2021/3966(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) जिलाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(6) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) सम्बनिधत अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(9) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10)गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।